

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ14()2016/एफसीए/प्रमुवसं/

1296

दिनांक: 3-6-20

शासन सचिव
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- डाईवर्जन ऑफ 4.1 है0 ऑफ फोरेस्ट लैण्ड इन फेवर ऑफ पीडब्ल्यूडी पीएमजीएसवाई डब्ल्यूवी डिवीजन शाहपुरा (भीलवाड़ा) फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ विजौलिया खुर्द टू छत्रीखेड़ा वाया मानगढ रोड अन्डर राजस्थान रोड सेक्टर मोडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट।
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/20893/2016)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ कार्यालय का पत्र सं. 8 बी/राज/06/18/ 2018/एफसी/543 दिनांक 11.12.18

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के साथ अधिरोपित की गई शर्तों की पालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक, अजमेर ने अपने पत्रांक 5726 दिनांक 17.07.19 एवं पुनः पत्रांक 2117 दिनांक 15.05.2020 से इस कार्यालय को प्रेषित की है, जो कि निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	पालना रिपोर्ट
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन अर्थात् 4.10 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की हैं। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को 6 माह में आरक्षित/संरक्षित वनभूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि 4.10 है0 की एवज में प्राप्त गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए निर्धारित मॉडल अनुसार राशि 4.10 है0 X 164100 प्रति है0 = 672810/- रु. विल संख्या 10002 (टी.वी. नं. 6895 व Transaction ID No RBI1061902111150) द्वारा ई- चालान राशि रु. 672810/- कैम्पा फण्ड में दिनांक 16.04.19 को जमा करा दिये गये हैं। प्रति संलग्न है। प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली के पत्रांक एफ-11-42/2017/एफ.सी./दिनांक 29.01.2018 द्वारा गाईडलाईन के विन्दु "बी" सार्वजनिक उपयोग के प्रकरण में तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार इको क्लास III में खुले क्षेत्र का वन मानते हुए 0.95 है0 वनभूमि में विना सक्षम स्वीकृति के यूजर ऐजेन्सी द्वारा गैर वानिकी कार्य करने पर एन.पी. वी. रु.626000/- प्रति है0 की दर की गणना से राशि 109028/- यूजर ऐजेन्सी के पत्रांक 447-451 दिनांक 9.05.2020 (फोटो प्रति संलग्न) द्वारा दिनांक 8.05.2020 को कॉर्पोरेशन बैंक नई दिल्ली में जमा करा दी गयी।

.....P.T.O.

		<p>जिला कलक्टर भीलवाडा के पत्रांक एफ. 39-7 (1)/अ/आरए/2019/1646 दिनांक 3.6.2019 द्वारा ग्राम राजपुरा तहसील आसीन्द की आरक्षित गैर वन भूमि आराजी संख्या 874 रकवा 43.8376 है0 में से 6.86 है0 भूमि वन विभाग को आवंटन की गई है जिसमें इस प्रकरण की 4.1 है0 भूमि है।</p> <p>जिला कलक्टर भीलवाडा का संदर्भित पत्र व खाता नकल की प्रति संलग्न है।</p>								
3.	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्रांक 5-3/2007-एफसी दि. 5.2.09 के तहत में दिये गये आदेशानुसार एन.पी.वी. की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।</p> <p>इसके उपरांत ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एनपीवी, सीए तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।</p>	<p>प्रत्यावर्तित वन भूमि 4.10 है0 हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार इको क्लास III में खुले क्षेत्र का वन मानते हुए रु. 626000/- प्रति हैक्टर की दर से राशि रु. 4.10 है0 X 626000 प्रति है0 = 2566600/- रु. बिल संख्या 10002 (टी.वी. नं. 6895 व Transaction ID No RB11061902111150) द्वारा ई-चालान राशि रु. 2566600/- कैम्पा फण्ड में दिनांक 16.04.19 को जमा करा दिये गये है। प्रति संलग्न है।</p> <p>ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा कराई गई धनराशि की ई-रसीद की छायाप्रति संलग्न है।</p> <p>जमा राशि का मदवार विवरण:-</p> <table> <tr> <td>CA</td> <td>- 672810/-</td> </tr> <tr> <td>NPV</td> <td>- 2566600/-</td> </tr> <tr> <td>PCA</td> <td>- 109028/-</td> </tr> <tr> <td>कुल योग:-</td> <td>3348438/-</td> </tr> </table>	CA	- 672810/-	NPV	- 2566600/-	PCA	- 109028/-	कुल योग:-	3348438/-
CA	- 672810/-									
NPV	- 2566600/-									
PCA	- 109028/-									
कुल योग:-	3348438/-									
4.	<p>प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।</p>	<p>इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।</p>								
5.	<p>विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जावेगा। यह सीमांकन 4" फीट उंचे आरसीसी पिलर का किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पिलर पर क्रमांक, डीजीपीएस निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती सीमा स्तम्भों से दूरी दर्शायी जाएगी।</p>	<p>इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।</p>								
6.	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मक डिस्पोजल योजना संलग्न है।</p>								
7.	<p>सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।</p>	<p>इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।</p>								

8.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आईआरसी के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं. 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दि. 16.11.15 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालना करेगी।	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।
10.	परियोजना के निमित्त राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यानुमति (working permission) निर्गत करने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र-11-306/2014 -एफ.सी. (pt.) दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुकरण किया जाएगा।	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।

उक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों की पालना हो चुकी है। अतः प्राप्त पालना की दो प्रतियां (एक मूल एवं एक छायाप्रति) प्रेषित कर निवेदन है कि एक मूल प्रति भारत सरकार को अग्रेषित कर प्रकरण में वनभूमि प्रत्यावर्तन की विधिवत स्वीकृति जारी करवाने का कष्ट करें।

संलग्न:- उक्तानुसार।

दो प्रतियां (एक मूल एवं एक छायाप्रति)

भवदीयः



(डॉ. गोविन्द सागर भारद्वाज)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,

राजस्थान, जयपुर।

दिनांक:

क्रमांक: एफ14()2016/एफसीए/प्रमुवसं/

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र), पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर "एच", अलीगंज, लखनऊ-226024 (उ0प्र0)
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केम्पा), राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
4. उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा।
5. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, (वर्ल्ड बैंक) खण्ड-शाहपुरा (भीलवाड़ा)।

(पी. सी. कुमावत)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर
कमांक एफ 11(39बी)एफसीए/मुवसअ/2017/ 5726 दिनांक 17-07-2019

निमित्त:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,
राजस्थान-जयपुर।

विषय:- डायवर्जन ऑफ 4.10 है0 फॉरेस्ट लेण्ड इन फेवर ऑफ पी.डब्ल्यू.डी.
पीएमजीएसवाई-डब्ल्यूबी. डिवीजन शाहपुरा (भीलवाडा-राजस्थान)फॉर
कन्सट्रक्शन ऑफ बिजौलिया खुर्द से छतरीखेडा वाया मानगढ रोड
अण्डर राजस्थान रोड सेक्टर मोडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
(मध्य)लखनऊ का पत्रांक 8 बी/राज./06/18/2018/543 दिनांक 11.12.
2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)लखनऊ का पत्रांक 8 बी/राज./06/18/2018/543
दिनांक 11.12.2018 द्वारा जारी सशर्ताधीन सैदान्तिक स्वीकृति के क्रम में उप वन
संरक्षक, भीलवाडा ने अपने पत्रांक 3474 दिनांक 02.05.2019 द्वारा बिन्दुवार पालना रिपोर्ट इस
कार्यालय को भिजवायी गयी है। जिससे यह कार्यालय सहमत है। पालना रिपोर्ट आवश्यक
कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अक्षय सिंह)

मुख्य वन संरक्षक
अजमेर।

कमांक सम/

5727

दिनांक

प्रतिलिपि:- उप वन संरक्षक, भीलवाडा को उनके पत्रांक 3474 दिनांक 02.05.2019 के
क्रम सूचनार्थ प्रेषित है।

इस एड के साथ पालना
फाइल के तैयारी के लिए

(अक्षय सिंह)

मुख्य वन संरक्षक
अजमेर।

कार्यालय उप वन संरक्षक, भीलवाडा

क्रमांक:एफ-()एफसीए/उवसं/3474

दिनांक 25-19

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

विषय :- Diversion of 4.1 Ha. of forest land in favour of PWD PMGSY-WB division Shahpura (Bholwara, Rajasthan) for Construction of Bijoliyan Khurd to Chhatri Khera via Mangarh road under Rajasthan Road Sector Modernization Project FP /RJ /ROAD /20893/2016

F.C.A

10/5
अ/ली

प्रसंग:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनउ का पत्र क्रमांक प. 8बी/राज./06/18/2018/एफ.सी./ 543 दि. 11.12.2018 (FP /RJ /ROAD /20893/2016)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय लखनउ के प.8बी/राज./06/18/2018/एफ.सी./543 दि. 11.12.2018 द्वारा द्वारा वांछित प्रकरण में 4.10 हैक्टर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रत्यावर्तन 299 वृक्षों के पातन की अनुमति की सशर्ताधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। यूजर एजेन्सी अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक)खण्ड शाहपुरा के पत्रांक 56 दिनांक 23.04.2018 से सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी जो निम्नानुसार प्रेषित है:-

1. वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	स्वीकार है।
---	-------------



पत्र 5726/17.7.19 (152/C)
से प्राप्त पालना

<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 4.10 हे. पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।</p> <p>उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।</p>	<p>प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि 4.10 हैक्टर की एवज में प्राप्त गैर वन भूमि वृक्षारोपण के लिए निर्धारित मॉडल अनुसार राशि 4.10 है. X 164100 प्रति है. = 672810/-रु. बिल संख्या 10002 (टी.वी. नं. 6895 व Transaction ID No RBI1061902111150) द्वारा ई-चालान राशि रु. 672810/- कैम्पा फण्ड में दिनांक 16.04.19 को जमा करा दिये गये है। प्रति संलग्न है।</p> <p>जिला कलक्टर भीलवाडा के पत्रांक एफ. 39-7(1)/आरए/2014/4873/3557 दिनांक 28.06.17 द्वारा रोड एनओसी/आवंटन के संबंध में पत्र प्राप्त होने पर वन भूमि लेण्ड बैक हेतु आरक्षित आराजीयात ग्राम राजपुरा पटवार क्षेत्र तिलोली तहसील आसीन्द खसरा संख्या 763, 874, 875 व 912 में से उतनी ही भूमि वन विभाग को आरक्षित कर दी जावेगी। जिला कलक्टर भीलवाडा का सन्दर्भित पत्र व खाता नकल की प्रति संलग्न है।</p>
<p>3 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 556 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।</p> <p>इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन.पी.वी. हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हों) प्रेषित की जाएं, तदोपरान्त की विधिवत स्वीकृति</p>	<p>वनमण्डल में प्रत्यावर्तित वन भूमि 4.10 हैक्टर हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार इको क्लास III में खुली क्षेत्री का वन मानते हुए रु. 626000/- प्रति हैक्टर की दर से राशि रु. 4.10 है. X 626000 प्रति है. = 2566600/- रु. बिल संख्या 10002 (टी.वी. नं. 6895 व Transaction ID No RBI1061902111150) द्वारा ई-चालान राशि रु. 2566600/- कैम्पा फण्ड में दिनांक 16.04.19 को जमा करा दिये गये है। प्रति संलग्न है।</p> <p>ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा कराई गई धनराशि की ई-रसीद की छायाप्रति संलग्न है।</p>

	पर विचार किया जाएगा।	
	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई राशि भुगतान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5	विधिवत स्वीकृति बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्त अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। यह सीमांकन 4" फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	प्रस्तावित वन क्षेत्र का 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों द्वारा सीमांकन कर दिया जावेगा एवं आवश्यक सूचना अंकित कर दी जावेगी। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	वचनबद्धता संलग्न है।
7	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।	स्वीकार है। वचनबद्धता संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई. आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	स्वीकार है। वचनबद्धता संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का	स्वीकार है। वचनबद्धता संलग्न है।

पालन करेगी।	
1 0	परियोजना के निमित्त राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यानुमति (working permission) निर्गत करने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र-11-306/2014एफ.सी.(pt) दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुकरण किया जायेगा।
	स्वीकार है। वचनबद्धता संलग्न है।

संलग्न :- उक्तानुसार 3 प्रतियों में

भवदीय,

(ज्ञानचन्द)

उप वन संरक्षक,
भीलवाडा

क्रमांक () एफसीए/उवस/

दिनांक

प्रतिलिपि अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए, राज. जयपुर ।

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियंता, आर.आर.एस.एम.पी.योजना, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहपुरा जिला भीलवाडा ।

(ज्ञानचन्द)

उप वन संरक्षक,
भीलवाडा

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर
कमांक एफ 11(39,बी)एफसीए/मुवसअ/2017/
निमित्त:-

2117 दिनांक 15/5/20

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,
राजस्थान-जयपुर।

विषय:- Construction of Bijoliya Khurd to Chhatri Khera via
Mangah road under Rajasthan Road Sector Modernization
Project FP/RJ/ROAD/20893/2016 (4.1)

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14()2016/एफसीए/प्रमुवसं/4309 दिनांक 4.1.2019
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित के क्रम में Construction of Bijoliya
Khurd to Chhatri Khera via Mangah road under Rajasthan Road Sector
Modernization Project FP/RJ/ROAD/20893/2016 (4.1) प्रकरण में उप वन संरक्षक
भीलवाडा ने अपने पत्रांक 2486 दिनांक 12.5.2019 द्वारा बिन्दूवार पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को
भिजवायी गयी है। जो संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राजेश कुमार जैन)
मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर

दिनांक 15/5/20

कमांक सम/ 2118
प्रतिलिपि:-उप वन संरक्षक, भीलवाडा को उनके पत्रांक 2486 दिनांक 12.5.2019 के क्रम में
सूचनार्थ प्रेषित है।

(राजेश कुमार जैन)
मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर



कार्यालय उप वन संरक्षक, भीलवाडा

क्रमांक: एफ- () एफसीए/उवसं/
श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

2486

दिनांक 12/5/2020

विषय :- 1- Diversion of 4.1 Ha. of forest land in favour of PWD PMGSY-WB division Shahpura (Bholwara, Rajasthan) for Construction of Bijoliyan Khurd to Chhatri Khera via Mangarh road under Rajasthan Road Sector Modernization Project FP /RJ /ROAD /20893/2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के प.8वी/राज/06/18/2018/एफ.सी./543 दि. 11.12.2018 द्वारा 4.10 हैक्टर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रत्यावर्तन की सशर्तधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है।

यूजर एजेन्सी अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक) खण्ड शाहपुरा के पत्रांक 56 दिनांक 23.04.2018 से प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित पालना रिपोर्ट इस कार्यालय के पं. क्रमांक 3474 दि. 2.5.19 द्वारा अग्रोषित की जा चुकी है।

प्रकरण में बिना स्वीकृति गैर वानिकी कार्य होने के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली के पत्रांक एफ-11-42/2017/एफ.सी./ दि. 29.01.2018 द्वारा जारी गाईडलाइन के विन्दु "बी" के अनुसार अनुपालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

1. यूजर एजेन्सी एक राजकीय विभाग है।
2. प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली के पत्रांक एफ-11-42/2017/एफ.सी./ दि. 29.01.2018 द्वारा गाईडलाइन के विन्दु "बी" सार्वजनिक उपयोग के प्रकरण में तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार इको क्लास III में खुली क्षेत्री का वन मानते हुए एन.पी.वी. रु. 626000/- प्रति हैक्टर की दर की गणना से राशि 109028/- रु. कारपोरेशन बैंक, नई दिल्ली के नवीन लेखा राजस्थान कैम्पाफण्ड खाता में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा कराने का मांग पत्र इस कार्यालय के पं. 1803-1807 दि. 18.3.2020 द्वारा जारी किया गया।

अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक) खण्ड शाहपुरा के पत्रांक 447-451 दिनांक 9.5.2020 फोटो प्रति संलग्न द्वारा दिनांक 8.5.2020 को चालान सं. 6120893882 के द्वारा राशि रु. 109028/- कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गई है।

कृ.प.उ....

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

3. वांछित प्रकरण में बिना सक्षम स्तर पर स्वीकृति के वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य करने बाबत इस कार्यालय के पं. 8241-44 दि. 22.10.19 द्वारा सहायक वन संरक्षक, माण्डलगढ को जाँच अधिकारी नियुक्त कर जाँच रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु लिखा गया। सहायक वन संरक्षक, माण्डलगढ द्वारा पं. 6 दि. 19.2.2020 द्वारा जाँच रिपोर्ट प्रेषित कर माह मई 2019 पश्चात 0.95 हैक्टर वन भूमि में बिना सक्षम स्वीकृति के गैर वानिकी कार्य होने की रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

बिना स्वीकृति गैर वानिकी कार्य कराने के संबंध में श्री प्रकाश चन्द शर्मा, वनपाल बिजौलिया को राजकार्य में लापरवाही बरतने के संबंध में अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

इसी प्रकार अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक) खण्ड शाहपुरा के पत्रांक 360 दिनांक 6.2.2020 द्वारा श्री आलोक शर्मा अधिशाषी अभियंता एवं पत्रांक 362 दि. 6.2.20 द्वारा श्री हरि सिंह बैलदार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

4. बिना स्वीकृति गैर वानिकी कार्य हेतु पप्पू पिता बालू जी नि. चम्पापुर जिला भीलवाडा के विरुद्ध एफ.आई.आर. 80/21 दि. 5.10.2019 दर्ज की जाकर रसीद सं. 28/29 दि. 14.2.20 राशि 21000/- जुर्माना वसूल कर राजकोष में जमा कराया जा चुका है।

कृपया वांछित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना रिपोर्ट अग्रेषित करने का कष्ट करावे ताकि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी करवाई जा सके।

संलग्न:-उक्तानुसार

भवदीय,

(डी.पी.जागावत)
उप वन संरक्षक,
भीलवाडा

क्रमांक:एफ-()एफसीए/उवसं/ 2487-88

दिनांक 12/5/2020

प्रतिलिपि अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए, राज.

जयपुर।

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियंता, आर.आर.एस.एम.पी.योजना, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहपुरा जिला भीलवाडा।

(डी.पी.जागावत)
उप वन संरक्षक,
भीलवाडा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. पीएमजीएसवाई (वर्ल्ड बैंक)

खण्ड-शाहपुरा

दिनांक : 09.05.2020

क्रमांक : 447-451

श्रीमान उपवन संरक्षक
भीलवाड़ा

विषय : Diversion of 4.1 Ha. of forest land in favour of PWD PMGSY-WB division Shahpura (Bhilwara, Rajasthan) for construction of Bholiya Khurd to Chattri Khera via Mangarh road under Rajasthan Road Sector Modernization Project FP/RJ/ROAD/20893/2016.
प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक एफसीए/उवसं/1803 दिनांक 10.3.2020 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्र क्रमांक प.8 वी/राज./06/18/2018 / एफ.सी./543 दिनांक 11.12.2018 द्वारा वांछित प्रकरण में 4.1 हैक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैरव्यावसायिक प्रयोग हेतु प्रत्यावर्तन एवं 299 वृक्षों के पातन की सर्शताधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी।

उक्त संबंध में आपके प्रासंगिक पत्र की अनुपालना में दिनांक 08.05.2020 को चालान संख्या 6120893882 के द्वारा राशि 109028/- रुपये राजस्थान कैम्पा फण्ड में जमा करावा दी गई है। पत्र के साथ चालान की कॉपी संलग्न है। कृपया उक्त प्रकरण को निस्तारित करते हुए कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करावे।
धन्यवाद।

भवदीय

(हुकमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सानिवि पीएमजीएसवाई (वर्ल्ड बैंक)
खण्ड - शाहपुरा।

दिनांक : 09.05.2020

क्रमांक : 447-451

प्रतिलिपी :

1. श्रीमान मुख्य अभियन्ता (पीएमजीएसवाई) को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक, (प्रोटेक्शन) अरण्य भवन, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्रीमान अति. मुख्य अभियन्ता सानिवि संभाग अजमेर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमान अधिक्षण अभियन्ता, सानिवि वृत्त, भीलवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशाषी अभियन्ता
सानिवि पीएमजीएसवाई (वर्ल्ड बैंक)
खण्ड - शाहपुरा।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 08-05-2020

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT RAJASTHAN JAIPUR
Application No.	6120893882
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/18/2018/FC
Locallon.	RAJASTHAN
Address.	Executive Engineer PWD PMGSY-WB Dn. ShahpuraBhillwara
Amount(in Rs)	109028/-

Amount In Words :One Lakh Nine Thousand and Twenty-Eight
Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856120893882 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

व. वि. फार्म
वन विभाग, राजस्थान

अपराध की प्रारम्भिक सूचना

प्रथम प्रति

2 पृष्ठ क्रमांक

पुरतक क्रम 00

1. तारीख रिपोर्ट 5-10-19

2. दोषी का नाम, जाति एवं निवास स्थान पप्पू पिता बालू
जी. जाति. बी. बी. नि. पद्मपुर जिला. बी. बी. नि.

3. अपराध का विवरण एवं चरित्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण
अपराध का विवरण एवं चरित्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण

4. घटना का स्थान चम्बरू रोड

5. दिनांक अपराध करने का माह मई - भू. नं. 22/19

6. विवरण पैदावार जंगल जो पकड़ी गई व जो कार्यवाही

की गई त्रिभानुसार

7. किसकी सुपुर्दगी में रखा गया मा. च. मु. नि. म. के

8. नाम साक्षी

1. श्री नरेश कुमार कर्षक

2. श्री चंद्रमोहन शेर वनरक्षक

हस्ताक्षर रिपोर्ट कुनिन्दा
हस्ताक्षर रिपोर्ट कुनिन्दा

रिपोर्ट कुनिन्दा को सूचना मिलने के 24 घण्टे के अन्दर यह
सूचना रवाना करनी चाहिये।

वन विभाग (फार्म आगदानी) नं. 1 (क)

वन विभाग, राजस्थान

अधिचिजान (संदर में मजने की)

सं. 28

पेज नं. 27

सं. 201

नाका नं. ता. 2/20 मियाद से तक

नाम नाका वि. बी. नि. नाम रोज भाजुलगाद

नाम जंगल जहाँ से पैदावार लाई जावे

पैदावार कहाँ जायेगी 80-21/1 5.10.19

मियाद एवं जमाना

नाम खरीददार पप्पू डलवालू जी माल नि. नि. नि.

सकूनत मय पता नि. नि. नि. नि. नि.

मार्फत खरीदार पप्पू डलवालू जी माल नि. नि. नि.

किस पैदावार एवं जमाना

तादाद 1 शरक 2/000

तादाद महसूल

रकम 2/000 अंको में इक्कीस हजार १ मास

तारिक 2/000 हाव 2/000 मीजा 2/000

ह. इजराकुनिन्दा

ह. व्यापारी पद्म नि. नि. नि.

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक) खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा)

क्रमांक/ 18-19/ 56-59

दिनांक 23/04/19

उपवन संरक्षक,
वन विभाग, भीलवाड़ा,

विषय :- Diversion of 4.10 Ha. of forest lan in favour of PWD PMGSY-Wb Division Shahpura (Bhilwara) for Construction of Bijoliyan Khurd to Chhatri Khera via Mangarh road under Rajasthan Road Sector Modernization Project FP/RJ/ROAD/20893/2016 की द्वितीय एवं पूर्ण स्वीकृति हेतु।

महोदय,

अतिरिक्त प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय लखनउ के उपरोक्त विषयान्तर्गत जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्रांक प.8बी/राज/06/18/2018/एफ.सी./543 दिनांक 11.12.2018 की अनुपालना बिंदुवार निम्नानुसार प्रेषित है :-

<p>1. वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा</p>	<p>शर्त संख्या 1 के तहत वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।</p>
<p>2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 4.10 हे. पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आव. एक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।</p> <p>उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।</p>	<p>शर्त संख्या 2 की अनुपालना में आपके कार्यालय से क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष रखरखाव हेतु डिमाण्ड राशि व नोट प्राप्त कर इस कार्यालय द्वारा अपनी बिल संख्या 10002 (टी.वी. नं. 6895 व Transaction ID No RBI1061902111150) द्वारा ई-चालान राशि रु. 672810/- कैम्पा फण्ड में दिनांक 16.04.19 को जमा करा दिये गये हैं। प्रति संलग्न है।</p> <p>जिला कलक्टर भीलवाड़ा के पत्रांक एफ. 39-7(1)/आरए/2014/4873/3557 दिनांक 28.06.17 द्वारा आदेशित किया गया है कि जारी एफआरए प्रमाण पत्र की वन भूमि की स्वीकृति वन विभाग द्वारा रोड एनओसी/आवंटन के संबंध में पत्र प्राप्त होने पर वन भूमि लेण्ड बैंक हेतु आरक्षित आराजीयात ग्राम राजपुरा पटवार क्षेत्र तिलोली तहसील आसीन्द खसरा संख्या 763, 874, 875 व 912 में से उतनी ही भूमि वन विभाग को आरक्षित कर दी जावेगी। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।</p> <p>जिला कलक्टर भीलवाड़ा का सन्दर्भित पत्र व खाता नकल की प्रति संलग्न है।</p>
<p>3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 556 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।</p> <p>इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्दार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन.पी.वी. हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाएं, तदोपरान्त की विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।</p>	<p>शर्त संख्या 3 की अनुपालना में आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि इस कार्यालय द्वारा अपनी बिल संख्या 10002 (टी.वी. नं. 6895 व Transaction ID No RBI1061902111150) द्वारा ई-चालान राशि रु. 2566600/- कैम्पा फण्ड में दिनांक 16.04.19 को जमा करा दिये गये हैं। प्रति संलग्न है।</p> <p>ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा कराई गई धनराशि की ई-रसीद की छायाप्रति संलग्न है।</p>

4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी. वी. की दर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई राशि भुगतान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5	विधिवत स्वीकृति बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्त अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। यह सीमांकन 4" फीट ऊंचे आर.सी. सी. पीलरों से किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त संख्या 5 के अनुसार प्रस्तावित वन क्षेत्र का 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पिल्लरो द्वारा सीमांकन कर दिया जावेगा एवं आवश्यक सूचना अंकित कर दी जावेगी। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त संख्या 6 के अनुसार मक डिस्पोजल योजना बनाकर उपवन संरक्षक से स्वीकृत कराकर सक्षम अधिकारी को प्रेषित कर दी गई है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
7	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।	प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
8	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेंटरल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	भारत संख्या 8 की अनुपालना में आवश्यक वृक्षारोपण कर दिया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	भारत संख्या 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
10	परियोजना के निमित्त राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यानुमति (working permission) निर्गत करने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र-11-306/2014एफ.सी. (pt) दिनांक 28.03.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुकरण किया जायेगा।	भारत संख्या 10 की अनुपालना की जावेगी। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।

अतः आपसे निवेदन है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य की विधिवत स्वीकृति जारी करने की कृपा करावें।

संलग्न :- उक्तानुसार



(अरुण कुमार शर्मा)

अधिशाषी अभियन्ता

सा.नि.वि. पी.एम.जी.एस.वाई (वर्ल्ड बैंक)

खण्ड शाहपुरा (भीलवाडा)

दिनांक

क्रमांक/ 18-19/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (पी.एम.जी.एस.वाई.) सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि. सम्भाग अजमेर
3. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि. वृत् भीलवाडा।

(अरुण कुमार शर्मा)

अधिशाषी अभियन्ता

सा.नि.वि. पी.एम.जी.एस.वाई (वर्ल्ड बैंक)

खण्ड शाहपुरा (भीलवाडा)


राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
क्रमांक एफ.39-7(1)(सेअ)/आरए/2019/1646
दिनांक 07.06.2019

: आदेश :

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ. 39-7(1) (सेअ)/आरए/2014/1335 दिनांक 22.09.2015 से ग्राम राजपुरा ग्राम पंचायत तिलोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 763 रकबा 2.15 हैक्टर, आ0न0 874 रकबा 45.77 हैक्टर, आ0न0 875 रकबा 5.59 हैक्टर, आ0न0 912 रकबा 15.85 हैक्टर कुल कीता 4 कुल रकबा 69.36 हैक्टर वन विभाग हेतु वन भूमि लैण्ड बैंक हेतु लैण्ड बैंक की स्थापना हेतु वन भूमि आरक्षित की गई।

अधिशायी अभियन्ता सा.नि.वि. पी.एमजीएसवाई (वर्ल्ड बैंक) खण्ड शाहपुरा जिला भीलवाड़ा के पत्रांक 36 एवं 37 दिनांक 07.06.2018 के अनुसार बिजौलिया खुर्द से छतरीखेडा वाया मानगढ हेतु कुल रकबा 4.1 हैक्टर एवं एस. एच-29 से लोरदा हेतु कुल रकबा 2.76 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु जारी एफ. आर.ए. प्रमाण पत्र दिनांक 03.07.2018 के संदर्भ में अधिशायी अभियन्ता सा.नि.वि. के पत्रांक 20.05.2019 एवं उप वन संरक्षक भीलवाड़ा के पत्रांक 3786 दिनांक 22.05. 2019 के अनुसार उक्त वन भूमि के बदले ग्राम राजपुरा में आरक्षित वन भूमि लैण्ड बैंक में से भूमि दिये जाने बाबत निवेदन किया गया है।

अतः ग्राम राजपुरा तहसील आसीन्द की आरक्षित वन भूमि आराजी नम्बर 874 रकबा 43.8376 हैक्टर में से 4.1 हैक्टर एवं 2.76 हैक्टर कुल रकबा 6.86 हैक्टर भूमि वन विभाग को आवंटन की जाती है।


जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1-उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द
- 2-उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा
- 3-तहसीलदार, आसीन्द
- 4-पटवारी हल्का तिलोली
- 5-रक्षित पत्रावली


जिला कलक्टर
भीलवाड़ा


(डी.पी. जागावत)
उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा

6/4/2019



apnakhata.raj.nic.in/Owner_wise/Edharti_A4_Nakal_village.aspx?villink=6F15C41A2166D99B&khata=9728C0A22C997000&purpose

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (बी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- राजपुरा
पटवार हल्का :- तिलोली
भू.अभि.नि. :- लाछुडा
तहसील :- आसीन्द
जिला :- भीलवाड़ा

सम्बत :- 2074 - 2077
भूमि धारक का नाम :- राज.मरवार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टयर
खाता संख्या नया :- 211
खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम:-

1. वन विभाग हेतु वन भूमि लैण्ड बैंक हेतु आरक्षित हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1186/874	28.8541	बंजड़	28.8541	28.85		
763	2.1500	बीड	2.1500	5.38		
875	5.5900	बंजड़	5.5900	5.59		
912	15.8500	बंजड़	15.8500	15.85		
कुल खसरे - 4	52.4441		52.4441	55.6700		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 4-Jun-2019

P. 35 खंजावत नं. (176) पर दर्ज

12/11/19
04/06/19
(प. तिलोली)

(डी.पी. जागावत)
उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- राजपुरा
पटवार हल्का :- तिलोली
भू.अभि.नि. :- लाछुडा
तहसील :- आसीन्द
जिला :- भीलवाड़ा

सम्बत :- 2074 - 2077
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 254
खाता संख्या पुराना :- 211

काश्तकार का नाम:-

1. वन विभाग हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा सिंचाई के साधन संदत्त लगान	अन्तर्गण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1185/874	6.8600	बंजड़ 6.8600	6.86	स्वीकृत नामान्तरकरण : 832 03/06/2019 आवंटन	
कुल खसरे - 1	6.8600	6.8600	6.8600		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जागकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 3-Jun-2019



p.35 खसरा नं. (176) पर 1/11/19

04/06/19
प. तिलोली

(डी.पी. जागावत)
उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- राजपुरा
पटवार हल्का :- तिलोली
भू.अभि.नि. :- लाछुडा
तहसील :- आसीन्द
जिला :- भीलवाड़ा

सम्बत :- 2074 - 2077
भूमि धारक का नाम :- राज.गर्कार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टर
खाना मंख्या नया :- 210
खाना मंख्या पुराना :- 246

काश्तकार का नाम:-

1. वन विभाग हिस्सा- पूर्ण (खातेदार) (संख्या) के लिए

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृपक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण मंख्या व दिनांक	टिप्पणी
1180/874	1.9324	बंजड़	1.9324	1.93		
1182/874	4.6711	बंजड़	4.6711	4.67		
1183/874	1.9324	बंजड़	1.9324	1.93		
1184/874	1.5200	बंजड़	1.5200	1.52		
कुल खसरे - 4	10.0559		10.0559	10.0500		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।
नकल जारी करने की तिथि :- 3-Jun-2019



P-35 खंता 98. (176) पर दर्ज
05/06/19
प्रतिलिपि

(डी.पी. जागावत)
उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा

जम्मा क्षेत्र

जाम - राजपुरा
ख.म. - तिलोली
तह. - आदीना
स्. - 1cm = 40m



P-35 अंक 5 म. (176) पर मी.
2/11/19
19. तिलोली

3
(डी.पी. जागावत)
उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा



कार्यालय उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा

क्रमांक: एफ-() एफसीए/उवसं/

दिनांक

श्रीमान् अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए, राज. जयपुर ।

- विषय :-
- (1) Construction of Bijoliya Khurd to Chhatri Khera via Mangarh road under Rajasthan Road Sector Modernization Project FP/RJ/ROAD/20893/2016 and
 - (2) Construction of SH-29 Km 139/500 to Lorda road under Rajasthan Road Sector Modernization Project FP/RJ/ROAD/20888/2018)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विषयांकित उपरोक्त दोनों सड़कों में प्रयोग की जाने वाली वन भूमि के विरुद्ध आवंटित गैर वन भूमि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के पत्रांक एफ-39-7(1)(सेअ)आरए/2019/ 1646 दिनांक 3.6.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा वन विभाग को ग्राम राजपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा में वन विभाग के लिये आरक्षित की गयी भूमि बैंक में से उपलब्ध करायी जाकर विभाग द्वारा अपने अधिकार में ले ली गई है। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आदेश उपरांत भूमि का अमल दरामद दि. 4.6.2019 को वन विभाग के पक्ष में हो गया है।

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आदेश एवं जमाबन्दी की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(ज्ञानचन्द)

उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा

दिनांक 22/7/16

क्रमांक: एफ-() एफसीए/उवसं/ 5850

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. पी.एम.जी.एस.वाई (वल्ड बैंक) खण्डु शाहपुरा
(भीलवाड़ा)।

(ज्ञानचन्द)

उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 12-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT RAJASTHAN JAIPUR
Application No.	6120893093
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/18/2018/FC
Location.	RAJASTHAN
Address.	Executive Engineer PWD PMGSY-WB Dn. Shahpura Bhillwara
Amount(In Rs)	3239410/-

Amount in Words :Thirty-Two Lakh Thirty-Nine Thousand Four Hundred and Ten Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856120893093 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 12-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT RAJASTHAN JAIPUR
Application No.	6120893093
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/18/2018/FC
Location.	RAJASTHAN
Address:	Executive Engineer PWD PMGSY-WB Dn. Shahpura Bhillwara
Amount(In Rs)	3239410/-

Amount in Words :Thirty-Two Lakh Thirty-Nine Thousand Four Hundred and Ten Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856120893093 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Print

Back

T.V. NO + 6895
16/4/19

de

P-249

Reference No : 23874129

Government Of Rajasthan
WAM\inner\outer.sh2et

Month/Year : Apr/2019

Detailed Wam bill of EXECUTIVE ENGINEER, P.W.D., PMGSY WORLD BANK SHAHPURA (BHILWARA)(32401)

OfficeID : 32401

Bill For Works Payment : WAM Payment

Reference No : 1705301

Wam Reference No : #1/1 of 10

Division Name : PWD PMGSY Ch SHAHPURA

Division Code : 105

Bill No : 10002

Date : 15/04/2019

Demand No : 21

DDO Code : 32401

TAN : JDHE01003C

Object Head : 21

Budget Head : 3054-04-800-02-01/SF/IV

SF : 3239410.00

Nor:Plan : 0.00

NA : 0.00

To:
The Treasury/Sub Treasury Officer, SHAHPURA
Please Order to pay ₹ 3239410 as per the claim contained in this bill
Sign of Clerk

Sign of DA

Sign of Divisional Officer

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim that the claimed bill is strictly in accordance with rules and that the said parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the limites of online allotted budget/LC

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Sign Of DDO with Seave-Sign/Digital Sign of DDO
9571658197

Sr.No	Name Address Mobile	Bank Name Account-No. IFSC Code Branch Name	Invoice No. Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	WAMID	Budget Head Deduction Amt
1	Corporation Bank New Delhi Lodhi Complex branch Block 11 CGO Complex Phase I Lodhi road New Delhi 110003 9571658197	CORPORATION BANK 150856120893093 CORP0000371 Lodhi Road, New Delhi	1/1/1901 15/04/2019 AM	3239410.00 3239410.00	1705301	

Gross Amount Rs. 3239410.00

B.T. Amt Rs.

Net Amount Rs. 3239410.00

Amount In Words THIRTY TWO LAKH THIRTY NINE THOUSAND FOUR HUNDRED TEN ONLY

Sign Of DDO with Seave-Sign/Digital Sign of DDO

For Accountant General Office

limited ₹
exceed ₹

TREASURY VOUCHER

Treasury Voucher

Date

Payable No. 3239410.00

(In Words) : THIRTY TWO LAKH THIRTY NINE THOUSAND FOUR HUNDRED TEN ONLY

B.T. Head

Amount

Total (In Cash) ₹ 3239410.00

(In Words) : THIRTY TWO LAKH THIRTY NINE THOUSAND FOUR HUNDRED TEN ONLY

Auditor

Sign

Cont. Officer

Auditor

AAO-III

Treasury/Sub Treasury Officer

T.V. No 6895
16/4/19

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Public Works Department, Jaipur

Reference No.:

10002-
1705301

Bill No. & Date:

Bill/Ref No.: 10002, Dated: 15/04/2019

Division Name: EXECUTIVE ENGINEER, P.W.D., PMGSY WORLD BANK SHAHPURA (BHILWARA), Division Code: 32401

Sub Division Code:

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF & A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are suitable)

Work: Bijoliya Khurd to Chatri Khera via Mangarh (Campa Fund)

Vendor Name: Corporation Bank New Deihi

Sanction/Autorization/BillNo: 2 Dated: 15/04/2019

Budget Head: 3054-04-800-02-01-21-V-P

Reason:

Bank Details: AccountNo. - 150856120893093, IFSC Code: CORP0000371

Total amount payable to the contractor or supplier In Figures: 32,39,410 (In Words): Rupees Thirty Two Lakh Thirty Nine Thousand Four Hundreds Ten Only

Deductions/Recoveries:

SNo.	Head Code	Head Detail	Amount
Net Amount Payable In Figures: 32,39,410 (In Words): Rupees Thirty Two Lakh Thirty Nine Thousand Four Hundreds Ten Only			

Received fromsum of Rs.....(Rupees.....) on account of (Work Name)..../purpose


Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

Dated:

For use in Divisional Office


Signature of DA with seal


Signature of DO with seal

HAND RECEIPT

Book to Rajasthan Camps

Book Voucher No. *EE RWD B WB- Dn Shahpura*

- (1) Pay by Cheque / Cash
- (2) Paid by me P.D.

the sum

*भारत सरकार, जयपुर, जिनके जखाने पर निम्नलिखित बिल का
 कोषीय कार्यालय (मध्य) जयपुर के खाते: स. 8बी/राज/06/18/2018/
 एफ.डी./543 दिनांक 11-12-18 एवं उपरान्त बिल का पत्रिका संख्या
 के अंतर्गत (1) एफ.डी./उपरोक्त/सर्व-01 कार्य-TPR दिनांक: 18-12-18 की
 परिसर में Rajasthan Camps के खाते में 32,39,410.00 का भुगतान
 की स्वीकृति प्रदान की जाती है।*

[Signature]
 अधिशासी अभियन्ता
 सा. नि. वि. 26
 पी.एम.जी.एम.वाइ. वर्ल्ड बैंक
 शाखा - शाहपुरा (भोलवाड़ा)
 कोड नं. 32401

Amount of work for which Payment is made *Rs 32,39,410.00 (Rs Thirty Two Lakh Thirty Nine Thousand Four Hundred Ten only)*

Chargeable to *3054 - Biga Lys khurd to Chatrikhore*

vide item of pay bill

Voucher No.

*32,39,410.00
 (Rs Thirty Two Lakh Thirty Nine Thousand Four Hundred Ten only)
 Chas 3054 - Biga Lys khurd to Chatrikhore via Mangarh.*

*H.R. verified for Rs. 32,39,410/-
 Enclosed MB - 1151 pyc - 52
 EE*

[Signature]
 अधिशासी अभियन्ता
 सा. नि. वि. 26
 पी.एम.जी.एम.वाइ. वर्ल्ड बैंक
 शाखा - शाहपुरा (भोलवाड़ा)
 कोड नं. 32401

Signature of Payee (Stamp)

Witness

The Officer authorising Payment should initial and date, the pay order after according outward 'Cheque' or 'Cash' as the case may be.
 The person actually making the payment should initial and date, the payment certificate.
 In the case of works, the accounts of which are kept by sub heads, the amount chargeable to each sub head should be specified by the disbursing officer.
 Payment should be attested by some known person when the payee's acknowledgement is given by a mark seal, or thumb impression.

Performa for verification of Deposits in CAMPA funds
(Diversion of 4.1 Ha. of forest land in favour of PWD PMGSY-WB division Shahpura (Bhilwara, Rajasthan) for Construction of Bijoliyan Khurd to Chhatri Khera via Mangarh road under Rajasthan Road Sector Modernization Project FP /RJ /ROAD /20893/2016)

Sl. No.	Description	Compliance
1.	Name of Regional Office	Ajmer
2	State/District/Forest Division to which the Proposal relates	Rajasthan/Bhilwara/ Bhilwara
3	Name of User Agency, Nature of Proposal	PWD PMGSY-WB division Shahpura Construction of Bijoliyan Khurd to Chhatri Khera via Mangarh road under Rajasthan Road Sector Modernization Project
4	Extent of Forest area involved	4.10 Ha.
5.	Whether original or extension	Original
6.	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional Forest area and if so, specify	No
7.	Date of 1 st stage clearance	8वीं/राज/06/ 18/ 2018 / एफसी/543 दि. 11.12.2018
8.	Extent of CAMPA charges, head wise viz.	
(a)	Compensatory Afforestation	4.10 Ha.@ 121779= 672810/-
(b)	Additional CA	NA
(c)	Penal C.A	0.95 Ha.@ (594700X11/12X0.2)=109028
(d)	Catchment area Treatment	NA
(e)	Wild life Management Plan	NA
(f)	Additional charges for diversion of area falling under notified/protected areas	NA
(g)	Net Present value	4.10 Ha @Rs 626000 = Rs 2566600 /-
(h)	Any other charges Levies (please specify)	NA



भिलवाड़ा जिला शुभंकर

9.	Details of Bank Draft (Bank, Draft No. Date & Amount) head wise against items indicated in Paragraph 9 above	NA
10.	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance:	<p>amount 672810 /- deposited by user agesy in State CAMPA Account Corporation Bank, Block No. 11 Ground Floor, CGO complex Phase-1, Lodhi Road New Delhi-110003 through बिल संख्या 10002 (टी.वी. नं. 6895 व Transaction ID No RBI1061902111150) deposited in Dated 16-04-2019 Campa Fund.</p> <p>amount 2566600 /- deposited by user agesy in State CAMPA Account Corporation Bank, Block No. 11 Ground Floor, CGO complex Phase-1, Lodhi Road New Delhi-110003 बिल संख्या 10002 (टी.वी. नं. 6895 व Transaction ID No RBI1061902111150) deposited in Dated 16-04-2019 Campa Fund.</p> <p>Amount 109028/- deposited by user agesy in State CAMPA Account Corporation Bank, Block No. 11 Ground Floor, CGO complex Phase-1, Lodhi Road New Delhi-110003 through RTGS Challan No. 6120893882 dt. 8-5-20. Campa Fund .</p> <p>Total amount 3348438 /- deposited in State CAMPA Account .</p>
11.	Bank (Corporation Bank, Lodhi Complex/Union Bank of India, Sunder Nagar) in which deposited, with date of deposition.	-
12.	Any other remarks	-


(D.P.JAGAWAT)
Dy.Conservator of forest,
Bhilwara

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.
 CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

- To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
- Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.
- Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made.
- Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.
- Paid : This icon shows that the payment has been made.

Proposals received on or after 15th July 2014 All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Select State :

Select User Agency :

Payment Status : Paid Unpaid All

Bank Name : Mode of Payment :

Transaction Date (From) : Transaction Date (To) :

Enter value for Search :

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/ROAD/20893/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/20893/2016) Bijoliyan Khurd to Chhatri Khera via Mangarh	ROAD208932016882	11 Dec 2018	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 109028/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 0/-, Total : 109028/-	<input checked="" type="radio"/> Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 19 Mar 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 08 May 2020 Transaction Date 08 May 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/3111912251212WZVQCchatrikheda. Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD208932016882)
2	FP/RJ/ROAD/20893/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/20893/2016) Bijoliyan Khurd to Chhatri Khera via Mangarh	ROAD208932016093	11 Dec 2018	CA: 672810/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 2566600/- Total : 3239410/-	<input checked="" type="radio"/> Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 18 Dec 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 12 Apr 2019 Transaction Date 16 Apr 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/121118123212162Z3FRSescan0001. Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD208932016093)

(Signature)
 (P.C. KUMAWAT)
 DCF (FCA)
 JAIPUR

SWACHH BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)

Power To Empower (HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)

The national portal of India india.gov.in (HTTPS://INDIA.GOV.IN/)

my Gov (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

Open Government Data (OGD) Platform India MeitY (HTTP://MEITY.GOV.IN/)

(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)

NIC (HTTP://WWW.NIC.IN/)

Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (https://parivesh.nic.in/TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (https://parivesh.nic.in/Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (https://parivesh.nic.in/CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (https://parivesh.nic.in/HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (https://parivesh.nic.in/Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (https://parivesh.nic.in/Disclaimer.aspx) | Contact Us (https://parivesh.nic.in/contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

Ym
(PC. KUMAWAT)
DCF (FCA)
JAIPUR

Online Help/Query



कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक)
खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा)

क्रमांक / 18-19 /

दिनांक

Condition No. 1

Full Title of the Project — Diversion of 4.10 Ha. of forest lan in favour of PWD PMGSY-Wb Division Shahpura (Bhilwara) for Construction of Bijoliya Khurd to Chhatri Khera via Mangarh road under Rajasthan Road Sector Modernization Project


Online Proposal No.: - FP/RJ/ROAD/20893/2016

वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा की वचनबद्धता

प्रमाणित किया जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा) द्वारा Construction of Bijoliya Khurd to Chhatri Khera via Mangarh के दौरान वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा) वचनबद्ध है।

स्थान :- शाहपुरा (भीलवाड़ा)


(ज्ञानानन्द)
उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा


(अरुण कुमार शर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. पी.एम.जी.एस.वाई
(वर्ल्ड बैंक) खण्ड शाहपुरा
(भीलवाड़ा)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक)
खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा)

क्रमांक / 18-19 /

दिनांक

Condition No. 2

Full Title of the Project – Diversion of 4.10 Ha. of forest lan in favour of PWD PMGSY-
Wb Division Shahpura (Bhilwara) for Construction of Bijoliya
Khurd to Chhatri Khera via Mangarh road under Rajasthan
Road Sector Modernization Project

Online Proposal No.: - FP/RJ/ROAD/20893/2016

**भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है, इसे वन विभाग के पक्ष में
हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की वचनबद्धता**

प्रमाणित किया जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा) द्वारा Construction of Bijoliya Khurd to Chhatri Khera via Mangarh के दौरान जो भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है, इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने के छः माह की अवधि के अन्दर कर दिया जायेगा। इस हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा) वचनबद्ध है।

स्थान :- शाहपुरा (भीलवाड़ा)


(ज्ञानचन्द्र)
उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा


(अरुण कुमार शर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. पी.एम.जी.एस.वाई
(वर्ल्ड बैंक) खण्ड शाहपुरा
(भीलवाड़ा)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक)
खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा)

क्रमांक / 18-19 /

दिनांक

Condition No. 4

Full Title of the Project –

Diversion of 4.10 Ha. of forest lan in favour of PWD PMGSY-
Wb Division Shahpura (Bhilwara) for Construction of Bijoliya
Khurd to Chhatri Khera via Mangarh road under Rajasthan
Road Sector Modernization Project

Online Proposal No.: -

FP/RJ/ROAD/20893/2016

सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी, इस हेतु वचनबद्धता

प्रमाणित किया जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा) द्वारा Construction of Bijoliya Khurd to Chhatri Khera via Mangarh के दौरान सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी। इस हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा) वचनबद्ध है।

स्थान :- शाहपुरा (भीलवाड़ा)


(ज्ञानचन्द्र)
उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा


(अरुण कुमार शर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. पी.एम.जी.एस.वाई
(वर्ल्ड बैंक) खण्ड शाहपुरा
(भीलवाड़ा)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक)
खण्ड शाहपुरा (भीलवाडा)

क्रमांक / 18-19 /

दिनांक

Condition No. 5

Full Title of the Project – Diversion of 4.10 Ha. of forest lan in favour of PWD PMGSY-
Wb Division Shahpura (Bhilwara) for Construction of Bijoliya
Khurd to Chhatri Khera via Mangarh road under Rajasthan
Road Sector Modernization Project

Online Proposal No.: - FP/RJ/ROAD/20893/2016

वचनपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड शाहपुरा (भीलवाडा) द्वारा Construction of Bijoliya Khurd to Chhatri Khera via Mangarh के दौरान विधिवत स्वीकृति बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्त अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। यह सीमांकन 4" फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जायेगा। जिसमे प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरो से दूरी दर्शायी जाएगी। इस हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड शाहपुरा (भीलवाडा) वचनबद्ध है।

स्थान :- शाहपुरा (भीलवाडा)


(ज्ञानचन्द्र)
उप वन संरक्षक
भीलवाडा


(अरुण कुमार शर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. पी.एम.जी.एस.वाई (वर्ल्ड
बैंक) खण्ड शाहपुरा (भीलवाडा)

OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER, PWD (PMGSY-WB), DN. SHAHPURA

Name of Project :- Construction of Bituminous Road of Bijoliya Khurd to Chhatri Khera via Mangarh under RRSMP funded by the World Bank.


MUCK DUMPING PROPOSAL


Condition No. -6

It is to certify that in the proposed project there is no need of Muck Dumping location, Because the project road does not involve any cutting location/streches for construction of Bituminous Road of Bijoliya Khurd to Chhatri Khera via Mangarh under RRSMP funded by the World Bank in the State of Rajasthan. As such there is no cutting involved, so no muck will be genretad.

Dated: 29.05.2020

Place : Shahpura


(डी.पी. जागावत)
उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा


(H.C. Meena)
Executive Engineer
PWD PMGSY-WB
Dn. Shahpura (Bhilwara)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक)
खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा)

क्रमांक / 18-19/

दिनांक

Condition No. 7

Full Title of the Project -

Diversion of 4.10 Ha. of forest lan in favour of PWD PMGSY-
Wb Division Shahpura (Bhilwara) for Construction of Bijoliya
Khurd to Chhatri Khera via Mangarh road under Rajasthan
Road Sector Modernization Project

Online Proposal No.: -

FP/RJ/ROAD/20893/2016

प्रकरण मे विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व वन संरक्षण अधिनियम 1980 का
उल्लंघन नहीं किया जाएगा, इस हेतु वचनबद्धता

प्रमाणित किया जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड
शाहपुरा (भीलवाड़ा) द्वारा Construction of Bijoliya Khurd to Chhatri Khera via Mangarh के
दौरान प्रकरण मे विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन
नहीं किया जाएगा, इस हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड
शाहपुरा (भीलवाड़ा) वचनबद्ध है।

स्थान :- शाहपुरा (भीलवाड़ा)


(ज्ञानचन्द्र)
उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा


(अरुण कुमार शर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. पी.एम.जी.एस.वाई (वर्ल्ड
बैंक) खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा)

कार्यालय उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा

क्रमांक: एफ-() एफसीए/उवसं/ 2663

दिनांक 29/1/20

प्रकरण सं. Construction of Bijoliya Khurd to Chhatri Khera via Mangarh road under Rajasthan Road Sector Modernization Project FP/RJ/ROAD/20893/ 2016

भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 29.01.2018 के बिन्दु सं. 3 की पालना में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि Construction of Bijoliya Khurd to Chhatri Khera via Mangarh road under Rajasthan Road Sector Modernization Project FP/RJ/ROAD/20893/ 2016 प्रत्यावर्तित वन भूमि 4.1 है. में सक्षम स्तर से अन्तिम स्वीकृति/कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही 0.95 है. वन भूमि में सड़क निर्माण कार्य किया गया है।

बिना सक्षम स्तर स्वीकृति वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य करने बाबत यूजर एजेन्सी अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक) खण्ड शाहपुरा द्वारा प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली के पत्रांक एफ- 11-42 /2017 /एफ.सी./ दि. 29.01.2018 द्वारा जारी परिपत्र के बिन्दु संख्या 3 "बी" के अनुसार चालान सं. 6120893882 के द्वारा राशि रु. 109028/-कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गई है तथा बिना स्वीकृति गैर वानिकी कार्य हेतु पप्पू पिता बालू जी नि. चम्पापुर जिला भीलवाड़ा के विरुद्ध एफ.आई.आर. 80/21 दि. 5.10.2019 दर्ज की जाकर रसीद सं. 28/29 दि. 14.2.20 राशि 21000/- जुर्माना वसूल कर राजकोष में जमा कराया जा चुका है।


(डी.पी.जागावत)
उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वल्ड बैंक)
खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा)

क्रमांक / 18-19 /

दिनांक

Full Title of the Project -

Condition No.8

Diversion of 4.10 Ha. of forest lan in favour of PWD PMGSY-
Wb Division Shahpura (Bhilwara) for Construction of Bijoliya
Khurd to Chhatri Khera via Mangarh road under Rajasthan
Road Sector Modernization Project

Online Proposal No.: -


FP/RJ/ROAD/20893/2016

वचनपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा) द्वारा Construction of Bijoliya Khurd to Chhatri Khera via Mangarh के दौरान आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सडक के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा, इस हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा) वचनबद्ध है।

स्थान :- शाहपुरा (भीलवाड़ा)


(ज्ञानचन्द्र)
उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा


(अरुण कुमार शर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. पी.एम.जी.एस.वाई (वल्ड बैंक) खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक)
खण्ड शाहपुरा (भीलवाडा)

क्रमांक / 18-19 /

दिनांक

Full Title of the Project -

Condition No. 9

Diversion of 4.10 Ha. of forest lan in favour of PWD PMGSY-
Wb Division Shahpura (Bhilwara) for Construction of Bijoliya
Khurd to Chhatri Khera via Mangarh road under Rajasthan
Road Sector Modernization Project

Online Proposal No.: -

FP/RJ/ROAD/20893/2016

प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम,
कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन की वचनबद्धता

प्रमाणित किया जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड शाहपुरा (भीलवाडा) द्वारा Construction of Bijoliya Khurd to Chhatri Khera via Mangarh के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा । इस हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड शाहपुरा (भीलवाडा) वचनबद्ध है।

स्थान :- शाहपुरा (भीलवाडा)


(ज्ञानचन्द्र)
उप वन संरक्षक
भीलवाडा


(अरुण कुमार शर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. पी.एम.जी.एस.वाई (वर्ल्ड
बैंक) खण्ड शाहपुरा (भीलवाडा)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. (पी.एम.जी.एस.वाई वर्ल्ड बैंक)
खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा)

52

क्रमांक / 18-19 /

दिनांक

Condition No. 10

Full Title of the Project -

Diversion of 4.10 Ha. of forest lan in favour of PWD PMGSY-
Wb Division Shahpura (Bhilwara) for Construction of Bijoliya
Khurd to Chhatri Khera via Mangarh road under Rajasthan
Road Sector Modernization Project

Online Proposal No.: -

FP/RJ/ROAD/20893/2016

परियोजना के निमित्त राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यानुमति (working permission) निर्गत करने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र-11-306/2014एफ.सी.(pt) दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुकरण किया जायेगा, इस हेतु वचनबद्धता

प्रमाणित किया जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा) द्वारा Construction of Bijoliya Khurd to Chhatri Khera via Mangarh के दौरान परियोजना के निमित्त राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यानुमति (working permission) निर्गत करने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र-11-306/2014एफ.सी.(pt) दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुकरण किया जायेगा, इस हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. डब्ल्यू.बी. खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा) वचनबद्ध है।

स्थान :- शाहपुरा (भीलवाड़ा)


(ज्ञानचन्द्र)
उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा


(अरुण कुमार शर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. पी.एम.जी.एस.वाई (वर्ल्ड बैंक) खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा)